दिनांक 22.08.2020 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

निर्धारित समय के पश्चात दुकान का आधा शटर गिराकर सामग्री बेचने पर निगम की टीम ने की कार्यवाही

भिलाई नगर। नगर पालिक निगम की टीम ने जिला प्रशासन के आदेश का उल्लंघन कर व्यावसाय करने वाले दो व्यापारी के खिलाफ बीती रात शुक्रवार को कार्रवाई की। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या अन्य तरीके से चेहरा ढंका नहीं पाए जाने पर भी निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है। वहीं निर्धारित समय के बाद भी दुकान का आधा शटर गिराकर व्यावसाय करने वाले दुकानदार बालाजी किराना स्टोर से 5000 रूपए जुर्माना वसूला गया तथा निर्धारित समय पश्चात दुकान खुला रखने पर जैन प्रोविजन एवं किराना स्टोर से भी 5000 जुर्माना वसूल किया गया। दुकानदार को निर्धारित समय में दुकान खोलने और बंद करने की समझाइश और आदेश का उलंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई! जोन क्रमांक 5 के सहायक राजस्व अधिकारी मलखान सिंह सोरी की टीम ने शुक्रवार रात्रि को सेक्टर-4, हॉस्पिटल सेक्टर इत्यादि क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान दो दुकानदार जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित किए गए समय के पश्चात भी दुकान का आधा शटर गिराकर सामान बेच रहे थे। उनसे निगम की टीम ने 10000 रूपए अर्थदंड वसूल किया। भिलाई निगम अंतर्गत जोन की गठित टीम दुकानों के खुलने एवं बंद होने के निर्धारित समय का पालन कराने मुस्तैद है और आदेशों की अवहेलना करने वाले ऐसे दुकानदारों पर कार्यवाही कर रही है!